an>

Title: Need to make it mandatory for doctors to write medical prescription in capital letters to obviate the possibility of misreading by medical stores.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदया, डॉक्टर्स द्वारा पर्चे पर मरीजों की जो प्रेसक्रिप्शन लिखी जाती है, उसकी लिखावट प्रायः घसीट में, बड़ी गन्दी और भ्रामक होती है। मेडिकल स्टोर्स का स्टॉफ भी योग्य नहीं होता है, जिस कारण यह संभावना बनी रहती है कि डॉक्टर द्वारा लिखी गयी दवा के स्थान पर स्टोर द्वारा कोई अन्य दवा दे दी जाये। कभी-कभी इसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। रोग कम होने के स्थान पर भयंकर रूप ले लेता है। इसी प्रकार दवा की पॉवर को इंगित करते समय गणितीय शैली में डॉक्टर द्वारा दशमलव के लिए प्रायः बिंदु का प्रयोग किया जाता है। साफ लिखावट न होने के कारण मेडिकल स्टोर के स्टाफ द्वारा इसे उदाहरणार्थ .5 एमजी के स्थान पर कभी-कभी 5 एमजी पढ़ लिया जाता है और 10 गुनी अधिक पॉवर की दवा दे दी जाती है। इस बात को स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 गुना पॉवर की दवा खाने से मरीज का क्या हाल होगा।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि डॉक्टर्स द्वारा पर्चे पर प्रेसक्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में लिखी जाए तथा दशमलव एमजी को बिंदु व अंकों में लिखने के बजाय शब्दों में (जीरो डेसीमल फाइव) लिखना अनिवार्य किया जाए ताकि डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाइयां मेडिकल स्टोर्स के स्टाफ द्वारा स्पष्ट रूप से पढ़ ली जाएं।